



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128921

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 13130 वर्ष 2026

विश्वनाथ

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : पंकी सिंह, रोहित सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता., विनीत कुमार श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री रोहित सिंह, प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता श्री विनीत कुमार श्रीवास्तव और राज्य की ओर से ए.जी.ए.. श्री दीपक कपूर की बातें सुनीं।
2. यह रिट याचिका, 14.05.2026 को दर्ज की गई उस एफ.आई.आर. (मुकदमा अपराध संख्या 355/2026, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 351(3) बी.एन.एस., थाना- फरीदपुर, जिला- बरेली) को रद्द करने और प्रतिवादी अधिकारियों को यह निर्देश देने के लिए दायर की गई है कि वे इस एफ.आई.आर. के आधार पर याचिकाकर्ता को गिरफ्तार न करें।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता को एक आपराधिक मामले में झूठा फंसाया गया है। एफ.आई.आर. के अनुसार, मामले में उनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं बताई गई है। हालांकि, उन्होंने खुद माना है कि उन्होंने शिकायतकर्ता की पत्नी को 'आर्टिका एंटरप्राइजेज' से संपर्क करने की सलाह दी थी, जिसके पास सोलर पैनल के वितरण या बिक्री का लाइसेंस है। शिकायतकर्ता की पत्नी को लोन मिलने के बाद जो रकम धोखाधड़ी से दूसरी जगह भेजी गई, उससे याचिकाकर्ता को किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ है। साथ ही, शिकायतकर्ता के पास सिविल न्यायालय में एक और रास्ता है, जहां से वह बकाया रकम वसूल सकता है।

4. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता और ए.जी.ए. का कहना है कि यह एक संज्ञेय अपराध का मामला बनता है, इसलिए संबंधित एफ.आई.आर. में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है।

5. रिकॉर्ड देखा गया।

6. शिकायतकर्ता राम किशोर ने याचिकाकर्ता और दो अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई। आरोप था कि सह-आरोपियों में से एक, अजीत सिंह ने शिकायतकर्ता की पत्नी को सोलर पैनल लगवाने के लिए राजी किया और उन्हें याचिकाकर्ता विश्वनाथ और एक अन्य सह-आरोपी अर्पित से मिलवाया। इन लोगों ने शिकायतकर्ता की पत्नी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और एक एप्लीकेशन ली और उन्हें भरोसा दिलाया कि या तो सोलर पैनल लगाया जाएगा या नकद पैसे दिए जाएंगे। इसके बाद, उन्होंने धोखाधड़ी करके शिकायतकर्ता की पत्नी के नाम पर मेसर्स नेटज़ीरो फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से 13.01.2026 को 3,50,000 रुपये का लोन ले लिया। लोन की यह रकम धोखाधड़ी से अमित गुप्ता की पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर दी गई। लेकिन, न

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तो कोई सोलर पैनल लगाया गया और न ही शिकायतकर्ता की पत्नी को कोई नकद राशि दी गई। जब शिकायतकर्ता को इस घटना के बारे में पता चला, तो उसने कंपनी के एजेंट से सोलर पैनल और पत्नी को दिए गए 3,50,000 रुपये के लोन के बारे में पूछताछ की (जिसकी पहली किस्त 5,800 रुपये जमा की गई थी)। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने अजीत सिंह और याचिकाकर्ता से बात की; उन्हें भरोसा दिलाया गया कि सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन बाद में कोई साफ जवाब नहीं मिला और मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया गया। आखिरकार, शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता और दो अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई।

7. रिकॉर्ड देखने से साफ पता चलता है कि शिकायतकर्ता की पत्नी को याचिकाकर्ता की सलाह पर मेसर्स नेटज़ीरो फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से सोलर पैनल लगवाने के लिए ₹3,50,000 का लोन लेने के लिए उकसाया गया था। बाद में यह रकम अमित गुप्ता की पत्नी के खाते में भेज दी गई, लेकिन सोलर पैनल कभी नहीं लगाए गए, जैसा कि वादा किया गया था। इसलिए, यह गंभीर अपराध (कॉग्निज़ेबल ऑफेंस) का मामला बनता है। पुलिस जांच के दौरान सबूत मिलने के बाद ही यह पता लगाया जा सकेगा कि क्या याचिकाकर्ता शुरू से ही लोन की रकम को दूसरी जगह भेजने और शिकायतकर्ता की पत्नी के साथ धोखाधड़ी करने की साज़िश में शामिल था, या उसकी भूमिका सिर्फ पेशेवर सलाह देने तक ही सीमित थी।

8. इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य' (1992 अनुपूरक (1) एससीसी 335) और 'एम/एस निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य' (एआईआर 2021 एससी 1918) के मामलों में, और 07.10.2021 को तय किए गए 'स्पेशल लीव टू अपील (आपराधिक मामला संख्या 3262/2021 (लीलावती देवी उर्फ लीलावती और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) के मामले में तय किए गए कानून को देखते हुए, विवादित एफ.आई.आर. में दखल देने का कोई मामला नहीं बनता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. इसलिए, रिट याचिका **खारिज** की जाती है, लेकिन याचिकाकर्ता के लिए यह छूट है कि वह कानून के अनुसार और कानून के तहत अनुमत तरीके से अग्रिम ज़मानत/ज़मानत के लिए सक्षम न्यायालय में आवेदन कर सके।

(न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर) (न्यायमूर्ति अचल सचदेव)

29 जून, 2026

केएस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।